ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. प्रमुख/मुख्य अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय/डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय/लोकबन्धु राज नारायाण चिकित्सालय, लखनऊ एवं यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर।
2. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरूष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय उ0प्र0।
3. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

पत्रांकः प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2020–21/2871 लखनऊःदिनांक 06/10/2020

विषय– पुनर्योजित चिकित्सकों के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि महानिदेशालय के नवीन विशेषज्ञ एवं एम0बी0बीएस0 आदेश संख्या–प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2019–20/4562, 4551 दिनांक 03.10.2019 एवं महानिदेशालय के विस्तार विशेषज्ञ एवं एम0बी0बीएस0 आदेश संख्या–प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2019–20/4529, 4540 दिनांक 03.10.2019 द्वारा आपके अधीन कतिपय चिकित्सकों की सेवानिवृत्त के उपरान्त पुनर्योजित चिकित्सक के रूप में तैनाती की गयी है। प्रश्नगत चिकित्सकों का सेवा विस्तार प्रदान किया जाना है। अतएव कोविड–19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि वे चिकित्सक जिनकी परफामेंस अच्छी हो उनके विपरीत कोई तथ्य न हो तथा आयु 65 वर्ष से अधिक न हो सेवा विस्तार हेतु पूर्ण रूप से पात्र हो, का परीक्षण अपने स्तर से करते हुए अग्रिम आदेशों तक कार्य लेते रहे एवं नियमानुसार वेतन का भुगतान करें। निकट भविष्य में पुनर्योजन हेतु आहूत बैठक में प्रकरण विचारर्थ प्रस्तुत कर समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण पर समिति का निर्णय अन्तिम होगा जो मान्य होगा, साथ ही जिन चिकित्सा अधिकारियों की आयु जिस तिथि को 65 वर्ष पूर्ण हो रही हो उसके पश्चात कार्य न लिया जाए और यदि उनसे कार्य लिया जाता है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 (मेजर) देवेन्द्र सिंह नेगी)
महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (प्रशिक्षण),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

E:\All-Letter-2016\June 2016\Shanker\Letter.doc 4183